[Prof. Madhu Dandavate]

Kudal Commission. They have extended the time twice. They want to extend the time again. (*Interruptions*).

MR. DEPUTY-SPEAKER : This is a *suo motu* statement made by the Minister.

PROF. MADHU DANDAVATE : I have given notice under rule 193 I want to know whether the Government is going to allow a discussion on this. They want to destroy all organisations which are connected with late Jayaprakash Narayan. We are not going to tolerate this. They are destroying the spirit of Gandhian philosophy in the country. We would like to know whether the Government will bring a discussion on this.

MR. DEPUTY-SPEAKER : This will be considered in the BAC meeting on Monday.

PROF. MADHU DANDAVATE : What is your assurance ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : This will be taken up in the BAC meeting. Now legislative business Shri Harinatha Misra. (*Interruptions*) When the Chair gives a decision, I do not want the hon. Members that they should obey the Chair, but at least they should listen to the reply. (*Interruptions*)

PROF. MADHU DANDAVATE : We accept your proposal. Please communicate our feeling that it should be taken by up by the BAC.

LAND ACQUISITION (AMENDMENT) BILL, 1982

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF IRRIGATION (SHRI HARINATHA MISRA) : Sir, I beg to move for leave to withdraw a Bill further to amend the Land Acquisition Act, 1984.

MR. DEPUTY SPEAKER : Yes, Prof. Ajit Mehta, you want to oppose the withdrawal.

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर): उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में भू-अर्जन कानून के बारे में पहले भी चर्चा हुई है। मंत्री महोदय, विधेयक लेकर के सदन में आए तो मैंने यह सोचा था कि जो खामियां हैं और भू-अर्जन से जो घाटा होता है, उस की क्षति-पूर्ति का प्रावधान किया जायेगा। लेकिन बिल को देखने से मुझे बड़ी निराशा हुई। बिल में प्रावधान है कि नोटिस देने के बाद दो वर्ष के अन्दर ही निपटारा हो जायेगा। लेकिन दो वर्ष भी निपटारा होने में लग सकते हैं। नोटिस आज दिया जाए और जमीन का अधिग्रहण दो वर्ष के बाद हो तो दो वर्ष के बाद की कीमत ही किसान को मिलनी चाहिए।

श्री राम प्यारे पनिका : हम आपकी इस बात का समर्थन करते हैं।

प्रो० अजित कुमार मेहता : विधेयक में 1984 के पहले जो नोटिस दिया जा चुका है, उसको भी आप दो साल का समय देने जा रहे हैं। जिनको आज नोटिस दिया जा रहा है, उनको भी दो साल और 1984 से पहले जो नोटिस दिया हुआ है, उनको भी दो साल का समय आप दे रहे है ? नोटिस देने के बाद जो बाजार भाव होगा, उस पर ही भुगतान होना चाहिए। भूमि अधिग्रहण का नोटिस मिलने के बाद अगर किसान कोर्ट में जाता है और हो सकता है कि उसके पक्ष में फैसला हो जाए, लेकिन बिल में यह प्रावधान है कि कोर्ट में जब तक मामला रहेगा तो उस अवधि का ब्याज उसको नहीं मिलेगा। मैं समझता हूं, यह किसान के साथ अन्याय है। आप जानते हैं कि दिल्ली में

किसी जमाने में जमीन का नोटिस दिया गया था। ....(व्यवधान)

MR. DEPUTY SPEAKER : Prof. Mehta, this Bill is for withdrawal, are you opposing the withdrawal ?

PROF. AJIT KUMAR MEHTA : There is introduction also, Sir.

MR. DEPUTY SPEAKER : This Bill is for withdrawal. Let the Minister withdraw it, then he will introduce the other Bill.

PROF. AJIT KUMAR MEHTA : All right Sir.

MR. DEPUTY-SPEAKER : You have given notice to oppose the withdrawal of the Bill. You have given it in writing.

PROF. AJIT KUMAR MEHTA : I have asked for permission to oppose the introduction of the Bill.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Have you given notice of that ? If you have given, do not speak now. You can speak when the next Bill is introduced.

Now the question is :

> "That leave be granted to withdraw a Bill further to amend the Land Acquisition Act, 1894."

The motion was adopted.

SHRI HARINATHA MISRA : I withdraw the Bill.

14.57 hrs.

LAND ACQUISITION (AMENDMENT) BILL, 1984*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF IRRIGATION (SHRI HARINATHA MISRA) : I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Land Acquisition Act, 1984.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Motion moved :

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Land Acquisition Act, 1894."

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस समय यहां जो भूमि अर्जन अधिनियम आया है, वह वास्तव में लैंड एक्वीजीशन एक्ट न होकर किसानों और गरीब लोगों की भूमि हड़पने वाला कानून है और संविधान की स्पिरिट और रूह के खिलाफ है, पब्लिक पोलिसी और पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है तथा न्यायसंगत भी नहीं है। जो गरीबों की जमीन ली जाती है, उसके लिए अलग से कानून बने हुए हैं, लेकिन उनको जमीन की मूल कीमत भी नहीं मिल पाती। उनका रोजगार छीन लिया जाता है, उनका धंधा छीन लिया जाता है, लेकिन उनको कोई रोजगार देने की गारंटी नहीं है। मैं चाहता हूं कि जिन लोगों की जमीन ली जाएं, इस में उनके लिए रोजगार एक्सचेंज की व्यवस्था होनी चाहिए। एक तरफ किसी भू-स्वामी की यदि जमीन ली जाए तो उसको मुआवजे के साथ-साथ रोजगार भी मिलना चाहिए। मुआवजा भी मौजूदा कीमत पर मिलना चाहिए। इसके साथ ही उसकी फैमिली के फ्यूचर पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका कितना डैमेज हो सकता है, उसका असेसमैंट होकर उचित कम्पैन्सेशन का प्रावधान होना चाहिए। जिस तरह बाजार में मूल्य निर्धारण होता है, आपस में बैठकर खरीद-फरोख्त के संबंध में निश्चय किया जाता है, वैसी ही

*Published in the Gazette of India Extra Ordinary Pt. II, Section 2 dated 3-8-84.